दिनांक–07.04.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिए गएः–

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया है कि पुराने अधियाचना को रद्द कर दिया गया है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को अपने प्रमंडल अधीन योजनाओं की पुनः अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक सप्ताह में निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। उनके द्वारा यह निदेश दिया गया कि किसी भी योजना के निरीक्षण में यदि स्थल पर निरूपण के अनुसार कार्य में यदि कमी पाई जाती है तो संबंधित अभियंता के उपर कार्रवाई की जायगी।

- अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं, भवन प्रमंडल को निदेश दिया गया कि जो संवेदक डिबार करने के बावजूद कार्य सही से नहीं करते है उन सभी संवेदकों की सूची दैनिक अखबार में प्रकाशित किया जाय। उसके बावजूद भी यदि संवेदक कार्य नहीं करते है तो उन संवेदको को कालीकृत करने हेतु उचित माध्यम से प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित स्कीम को Nyaya Vikas Portal पर अद्यतन किया जाय। इसे अतिआवश्यक समझा जाय। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो Ms. Mosmi Rajput (Mob-9756669969) Consultant (MIS & Nyaya Vikas Portal) से सहायता ली जाय।

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा यह निदेश दिया गया है कि कोर्ट हॉल के फ्लोर के निर्माण के क्रम में Kota Stone Cutting, Polishing and Thickness का विशेष ध्यान रखा जाय।

- मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निदेश दिया गया कि उच्च न्यायालय, पटना के निदेशानुसार विधि विभाग के प्रत्येक

जिले में निर्मित आवासीय / गैर आवासीय भवनों की Feasibility Report सभी कार्यपालक अभियंताओं को समर्पित करना है, ताकि उन भवनों के उपर अतिरिक्त तल्लो का निर्माण किया जा सके। अतिरिक्त तल्लो के निर्माण हेतु संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सहमति पत्र लेना आवश्यक है।

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं, भवन प्रमंडल को निदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्राधीन अवस्थित सभी भवनों का निरीक्षण साल में एक बार अवश्य करें एवं उन भवनों की सुदृढ़ता जाँच कर प्रतिवेदन प्रशासी विभाग को समर्पित करें।
- सभी अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदन को PMIS पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय।
- सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को PMIS पर नियमित रूप से प्रत्येक माह के 30 तारीख तक अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ विधि विभाग

- मधेपुरा जिलान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में लॉयर्स हॉल के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

- दरभंगा जिलान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, लहेरियासराय में 08 कोर्ट भवन (जी0+5) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु विभाग को पत्र दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु उचित माध्यम से (अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को) पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में 10 कोर्ट भवन (जी0+5) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डिबार करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

➢ पंचायती राज विभाग

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवनों से संबंधित पंचायती राज्य विभाग का Panchayat Nischay Soft Portal को प्रत्येक माह सही तरीके से अद्यतन किया जाय, साथ ही भवन निर्माण विभाग के PSB (PMIS) पोर्टल पर योजनाओं को निरंतर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसे अतिआवश्यक समझा जाय। यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो लिखित रूप में विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रशासी विभाग को इससे अवगत कराया जा सके। साथ ही इससे संबंधित पंचायत राज्य विभाग के WhatsApp ग्रुप में भी अपनी समस्याओं को रखा जाय।

  अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया है कि आवंटन के अभाव से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्यों का प्रगति बाधा उत्पन्न हो रही है। कार्यों में तेजी लाने हेतु आवंटन की आवश्यकता है। आवंटन उपलब्ध कराने हेतु प्रशासी विभाग को निदेश दिया गया है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग

- जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य हेतु हाल ही में जमीन उपलब्ध करायी गयी है, उन योजनाओं के समय विस्तार हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने उचित माध्यम से मुख्य अभियंता को प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया है।

  अनुपालन–सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ ग्रामीण विकास विभाग

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में आने वाली बाधाएँ यथा जर्जर भवनों को तोड़ने का कार्य एवं कार्य स्थल पर पेड़ हटाने के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। कार्यपालक

अभियंताओं द्वारा पेड़ हटाने हेतु निधि की मांग की गई। उक्त के संबंध में अधियाचना करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में जहाँ भी निविदा निष्पादित हो चुका है तथा कार्य प्रारंभ करा दी गयी है उन सभी योजनाओं में शीघ्र एकरारनामा करने हेतु निदेश दिया गया है। सभी अधीक्षण अभियंता इसे सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालन–सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- वैशाली जिलान्तर्गत 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को नोटिस देते हुए कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर

➢ गृह (कारा) विभाग

- भागलपुर जिलान्तर्गत विशेष केन्द्रीय कारागार के तीसरे सेक्टर के कैदी वाड सं0–3, 6 एवं 7 का जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को नोटिस देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर

- मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में 20 क्षमता के पुरूष वार्डन बेरक का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को नोटिस दें कर कालीकृत करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी

- हाजीपुर जिलान्तर्गत मंडल कारा हाजीपुर में पश्चिम तरफ निर्मित बंदी कक्ष के चारो तरफ से पेरिमीटर वाल तथा वाच टावर के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर

➢ श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

- मधेपुरा जिलान्तर्गत संयुक्त श्रम भवन, कार्यालय भवन मधेपुरा के चहारदिवारी, परिसर विकास एवं अग्निशमन कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंड़ल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता को संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

➢ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- प्रशासी विभाग द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर अनुमंडल के बंसतपुर अंचल, मोजा–कोचगामा में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय एवं सहरसा जिलान्तर्गत कहारा ब्लॉक, मौजा–बासौना में 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया था ताकि दिसम्बर 2026 से इन विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जा सके।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल/सहरसा

- प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक बालक छात्रावास काफी जर्जर स्थिति में है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर से उक्त भवन का निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर

➢ सामान्य प्रशासन विभाग

- मुंगेर जिलान्तर्गत कमिशनर आवास के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2014 में ही प्रदान की गई थी तथा कार्य रूफ लेवल तक करने के पश्चात रोक दिया गया है। कार्यपालक अभियंता को इस योजना को Close करने हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर

- वाल्मी, पटना में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (जी0+7 एवं उससे ऊपर) और बिहार ग्रामीण विकास संस्थान का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गर्दनीबाग द्वारा बताया गया कि प्रशासी विभाग द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे–RCC फ्रेम तथा नये नाले का निर्माण कार्य कराने की मांग की जा रही है। प्रशासी विभाग को इस संबंध में ध्यान देने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- छपरा जिलान्तर्गत सारण समाहरणालय परिसर में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन (जी0+5) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत है, पुराने भवन को तोड़ने का आदेश एक साल पहले हो चुका है परन्तु अभीतक इसे खाली नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। कार्यपालक अभियंता को उक्त कार्य की विस्तृत विवरणी मुख्यालय को भेजने हेतु निदेश दिया गया है ताकि प्रशासी विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर समस्या का समाधान निकाला जा सके।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा

➢ निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

- गयाजी जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय शेरघाटी के कार्यालय भवन का नवनिर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ग्रेड बीम का कार्य कराया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता को PMIS पर योजना की स्थिति अद्यतन करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी

- मोतिहारी जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय छौरादानो में पुरूष, महिला एवं विकलांग शौचालय कॉपलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि औपबंधिक कार्यादेश निर्गत करने के पश्चात संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता को संवेदक का EMD जब्त करने तथा योजना के पुर्ननिविदा हेतु अग्रतर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी

➢ सहकारिता विभाग

- लखीसराय जिलान्तर्गत सहकार भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु संवेदक को LOA निर्गत किया जा चुका है। पुराने भवनों को तोड़ने हेतु नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है, परन्तु भवन अभीतक खाली नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता को भवन खाली कराने हेतु प्रशासी विभाग को पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय

- सिवान जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय में सहकार भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु स्थल की विवरणी अभीतक प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई है। प्रशासी विभाग को स्थल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- छपरा जिलान्तर्गत प्रमंडलीय मुख्यालय सारण में सहकार भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य हेतु चयनित स्थल पर भूमि विकास बैंक है, जिसके खाली नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रशासी विभाग को जल्द से जल्द स्थल खाली कराने हेतु अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ कृषि विभाग

- हाजीपुर जिलान्तर्गत बिदुपुर, वैशाली में बागवानी केन्द्र (PAN) (जी0+1) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। चहारदिवारी निर्माण कार्य का स्थल विवादित है। प्रशासी विभाग को स्थल समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ वाणिज्य–कर विभाग

- छपरा जिलान्तर्गत वाणिज्य–कर विभाग के राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन/अपील/अंकेक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा द्वारा बताया गया कि प्रशासी विभाग के अनुरोध पर उक्त भवन को जी0+3 के स्थान पर जी0+4 बनाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा चतुर्थ तल पर प्रस्तावित कमरों की संख्या प्रशासी विभाग से मांगी गयी है, जो अबतक अप्राप्त है। प्रशासी विभाग से सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- नांलदा जिलान्तर्गत वाणिज्य–कर के कार्यालय के पदाधिकारी के आवासीय भवन का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नांलदा द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य का LOA निर्गत किया जा चुका है। परन्तु चयनित स्थल पर पूर्व से अवस्थित आवास Sales Tax Commission के पदाधिकारियों द्वारा खाली नहीं किया जा रहा है। प्रशासी विभाग से उक्त आवास को खाली कराने का अनुरोध किया गया ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा सके।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

- रोहतास जिलान्तर्गत आई0टी0आई0, डेहरी ऑन सोन भवन के मरम्मती कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, रोहतास (सासाराम) द्वारा बताया गया कि छात्रावास का मरम्मति कार्य छात्रों द्वारा बाधित किया जा रहा है। जिस कारण संवेदक अब कार्य करना नहीं चाह रहे है। उक्त योजना को बंद करने हेतु प्रशासी विभाग को पत्र दिया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ गुणवत्ता अनुश्रवण की समीक्षा

- मुख्य अभियंता (गुणवत्ता) के द्वारा बताया गया कि पूर्व में गठित उड़नदस्ता दल को रद्द कर नये उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है, जिसमें 9 असैनिक अभियंता तथा 1 विद्युत अभियंता को शामिल किया गया है। यह भी निदेश दिया गया कि राज्य में जो भी योजनाएँ चल रही है उनकी सामग्री यथा–ईंट, सीमेंट, गिट्टी (Stone Chips), छड़ (8, 10, 12, 16, 20, 25 एवं 32 MM व्यास) को गुणवत्ता जाँच हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजवंशी नगर, पटना में भेजना

सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक जाँच हेतु 3 (तीन) Cube उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा Cube Sample पर सभी आवश्यक जानकारी अंकित करना सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक निर्माण कार्य में सीढ़ी का Waist Slab सही Thickness में निर्माण करना सुनिश्चित किया।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ एसी0 / डी0सी0 विपत्र, वाद / अवमाननावाद, सेवान्त लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी प्रमंडलों में लंबित AC/DC विपत्र जिनका समायोजन किया जाना है, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया गया, इस हेतु किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति को वित्त विभाग के प्रभारी पदाधिकारी डॉ0 अरूण कुमार (दूरभाष सं0–9911231821) के सहयोग से स्पष्ट किया जा सकता है।

  इसमें शिथिलता बरतने वाले कार्यपालक अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII)________ दिनांक–________

ह0 / –
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII) 3762(भ) दिनांक– 22/4/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

22.4.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव